

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1794/2007/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-द्वितीय, वृत्त ब्यावर

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स स्क्रैप एण्ड स्क्रैप, ब्यावर

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल – सदस्य

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उपराजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/01/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत अपील संख्या 53/2001-02/ आरएसटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.03.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, वृत्त ब्यावर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 29(5) के तहत पारित आदेश दिनांक 21.03.2001 की पुष्टि करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि आलोच्य अवधि का कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण प्राधिकारी ने एसटी 5ए एवं लेखापुस्तकों के अवलोकन पर यह पाया कि :-

प्रत्यर्थी द्वारा आलोच्य अवधि में समस्त बिक्री मार्बल हस्तशिल्प आईटम की बतायी गयी है एवं इस बिक्री को करमुक्त दर्शाया है।

i. कर निर्धारण प्राधिकारी ने अधिसूचना 06.03.1991 के क्रम में प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित माल को रूपये 200/- तक के आर्टिकल के विक्रय की छूट स्वीकार करते हुए रूपये 200/- से अधिक के मार्बल आर्टिकल की 2250/- की विक्रय राशि पर कर रूपये 270/- सरचार्ज रूपये 32/- तथा धारा 58 में ब्याज रूपये 181/- निर्धारित किया।

ii. विक्रय बिल संख्या 1160 रूपये 68,000/- तथा विक्रय बिल संख्या 1161 रूपये 64,150/- का इन्द्राज बहियों में क्रमशः रूपये 8000/- एवं रूपये 4150/- दर्शाया है। इस प्रकार उक्त बिलों की अन्तर बिक्री रूपये 1,20,000/- को नियमित लेखा पुस्तकों में छिपाया जाने एवं उक्त विक्रय के संबंध में रूपये 1,20,000/- की विक्रय

लगातार.....2

राशि में से निर्माण व नफा घटाते हुए माल की कीमत रूपये 72,000/- की खरीद मानते हुए उस पर क्रय @ 4 प्रतिशत से कर रूपये 2880/- सरचार्ज रूपये 346/- तथा ब्याज रूपये 1936/- आरोपित किया तथा धारा 65 में शास्ति रूपये 5860/- आरोपित की गयी।

iii. कर निर्धारण प्राधिकारी ने बिल संख्या 1154 का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में नहीं करने एवं इस विक्रय बिल की राशि/माल का कहीं भी विक्रय वापसी या निरस्त का इन्द्राज नहीं करने के कारण इस बिल की राशि रूपये 6900/- पर क्रय कर 276/- सरचार्ज रूपये 33/- एवं ब्याज रूपये 185/- निर्धारित की तथा कर की दुगुनी राशि धारा 65 में रूपये 552/- की शास्ति आरोपित की। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि विक्रय राशि रूपये 1,20,000/- पर कोई कर नहीं लगाया गया है। अर्थात् बिक्री को कर मुक्त माना गया है।

iv. कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा वक्त कर निर्धारण एसटी 5बी पेश करने के कारण धारा 61 बी में शास्ति रूपये 500/- आरोपित की गयी।

उक्त चारों बिन्दुओं पर अपीलार्थी द्वारा अपील उपायुक्त (अपील्स), अजमेर के यहा अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील पूर्ण रूप से स्वीकार की जाकर चारों बिन्दुओं पर क्रय कर रूपये 3,837/- सरचार्ज रूपये 411/- , ब्याज रूपये 2302/- व शास्ति रूपये 7504/- को अपास्त किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 29.03.2007 के विरुद्ध यह अपील विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री जमील जई ने बहस के दौरान बताया कि उपायुक्त (अपील्स) द्वारा समस्त मांग राशि को अपास्त करने में भूल की है। अतः उनकी अपील स्वीकार की जाये। श्री जमील जई ने बताया कि व्यवहारी द्वारा बिल नं0 1160 व 1161 में रूपये 1,20,000/- के माल का कम जमा खर्च किया गया है तथा बिल नं0 1154 में 11,500/- के माल का जमा खर्च लेखा पुस्तकों में नहीं दिया गया है जिसके कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल की उचन्ती खरीद बिक्री मानी जाकर उक्त बिक्री माल की कीमत में से खर्चे व लाभांश घटाते हुए क्रय कीमत क्रमशः रूपये 72,000/- व रूपये 6900/- की मानी जाकर उस पर क्रय कर, सरचार्ज, ब्याज व धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गई है जो पूर्णतया उचित है तथा जिसे अपास्त कर अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक भूल की गई है। श्री जमील जई के अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त बिलों से की गई बिक्री को विक्रय वापसी व बिक्री नहीं होना माना गया है, जो उचित नहीं है अतः आरोपित क्रय कर, सरचार्ज, ब्याज व शास्ति को बहाल करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से श्री वी.सी.सोगानी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि :-
(i.) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2000-01 में 200/- रूपये से ऊपर निर्मित मार्बल हस्तशिल्प आर्टिकल्स को ही कर मुक्त माना है, जो कि नोटिफिकेशन दिनांक 06.03.1991 के अनुसार माना गया है जबकि इसके बाद अधिसूचना क्रमांक 07.03.1994 में रूपये 500/- तक कि Decorative handicraft Articles को कर मुक्त माना गया है। इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 27.03.1995 में सभी मूल्य के All Kinds of Handicrafts बिना किसी शर्त के कर मुक्त रखे गये है।

उक्त अधिसूचनाओं के अनुसार बिना किसी मूल्य की सीमा के हेण्डीक्रॉफ्ट आर्टिकल्स को कर मुक्त किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने केवल 200/- रुपये तक के आर्टिकल्स को कर मुक्त मानकर इससे अधिक के मूल्य की आर्टिकल्स पर जो कर आरोपण किया है वो अनुचित है बिल नं० 1154, 1160 व 1161 के संबंध में श्री वी.सी.सोगानी ने बताया कि उक्त माल भी कर मुक्त हैण्डीक्रॉफ्ट है जिसकी कीमत भी 500 रुपये प्रति नग से कम है अतः कर मुक्त माल होने से उसकी उचन्ती मूल्य कर मुक्ति बिक्री करने का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है, उक्त माल की बिक्री पूर्ण नहीं हुई थी केवल बिक्री बिल जारी किये गये थे, जिनका विस्तृत जवाब कर निर्धारण अधिकारी को दे दिया गया था, परन्तु उक्त जवाब को अस्वीकार कर करारोपण किया गया है जो अनुचित है। प्रत्यर्थी व्यवहारी का उक्त जवाब उपायुक्त (अपील्स) द्वारा उचित मानकर करारोपण को अपास्त किया है अतः उपायुक्त (अपील्स) के निर्णय को बहाल रखने का निवेदन किया गया। और धारा 61बी के तहत आरोपित शास्ति रुपये 500/- के संबंध में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी कर मुक्त माल का विक्रेता है तथा प्रत्यर्थी पर उक्त शास्ति की कार्यवाही बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये बिना जारी की गई है अतः शास्ति अपास्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली के रेकार्ड व की गई बहस पर गहनता से विचार किया गया जिस पर पाया गया कि प्रथमतया रुपये 200/- से अधिक कीमत के मार्बल हैण्डीक्रॉफ्ट आर्टिम्स पर जो करारोपण किया गया है, वह अनुचित है क्योंकि अधिसूचना क्रमांक 07.03.1994 में रुपये 500/- तक के आर्टिकल्स कर मुक्त है अधिसूचनाएं निम्न प्रकार है :-

F.4(8)FDGr.IV/94-49 dated 7.3.1994-

S.O. 179- In exercise of the powers conferred by S.4(2), RST Act, 1954 the Stae Govt. [1] hereby exempts from tax with immediate effect, under the said Act, the sale or purchase of the following goods, namely:-


7. Decorative handicraft articles, made of any material and costing not more than Rs. 500/- per article. तथा

इसी प्रकार अधिसूचना संख्या F.4(11)FDGr.IV/95-50 dated 27.03.1995

S.O.400.-In exercise of the powers conferred by S.4(2), RST Act, 1954, the State Govt. [.1.]hereby exempts from tax with immediate effect, under the said Act, the sale or purchase ofl the following goods, namely:-

- | | |
|---|---|
| 1. All kinds of Hnadicrafts. | 2. Isabgol |
| 3. Jute ropes. | 4. Singhara, kuttu, sawankha and rajgira. |
| 5. Frozen Semen for cattle insemination | 6. Umbrellas and parts and accessories thereof. |
| 7. Fresh Milk (whether whole fat contents of which have been removed or reduced). | |

इस अधिसूचना में All Kinds of Handicrafts को कर मुक्त किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल रुपये 200/- तक के आर्टिकल्स को कर मुक्त मानने की भूल की है जिसके फलस्वरूप आरोपित क्रय कर, सरचार्ज, ब्याज व शास्ति को उपायुक्त (अपील्स) द्वारा अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है अतः इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाता है तथा उपायुक्त (अपील्स) के निर्णय की पुष्टि की जाती है।


10/1/14



लगातार.....4

(ii.) बिल नं० 1160 व 1161 के संबंध में अपीलार्थी का यह कथन कि माल क्रेता फर्म को पसंद नहीं आने से विक्रय नहीं हुआ था, उपायुक्त (अपील्स) द्वारा उचित माना गया है जिसके आधार पर आरोपित क्रय कर, सरचार्ज, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया गया है। इसी तरह बिल नं० 1154 की विक्रय राशि के संबंध में अपीलार्थी का कथन कि बिल की सभी प्रतियां बिल बुक में उपलब्ध थी तथा वाहन नहीं मिलने के कारण माल की डिलीवरी क्रेता फर्म को नहीं दी जा सकी जिसके कारण उक्त बिक्री को उचन्ती बिक्री नहीं माना जा सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त आधारों को उचित मानकर क्रय कर, सरचार्ज, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा क्रेता फर्मों से अन्यथा बिक्री पूर्ण होने की कोई जांच नहीं की है और ना ही कोई अन्य साक्ष्य एकत्रित किये है ऐसी स्थिति में उपायुक्त (अपील्स) द्वारा उपरोक्त विक्रय पूर्ण होना नहीं मानकर जो क्रय कर, सरचार्ज, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया गया है वह उचित प्रतीत होती है अतः इस संबंध में विभाग की अपील अस्वीकार की जाकर उपायुक्त (अपील्स) के निर्णय को यथावत रखा जाता है।

5. धारा 61बी के तहत आरोपित शास्ति रूपये 500/- के संबंध में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उक्त शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवसाई को विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि व्यवसाई को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर प्रदान किये बिना ही व्यवहारी की अनुपस्थिति में ही शास्ति आरोपित की है जो विधिसम्मत नहीं है। उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि विशिष्ट नोटिस दिये बिना शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। अतः उच्चतर न्यायालयों के निर्णय (1994) 16 आर.टी.जे.एस. 163, 43 (एस.बी.) (1972)29 एस.टी.सी. (699) एवं (2001)25 टी.डब्ल्यू.153 की पालना में धारा 61 में आरोपित शास्ति कुल रूपये 500/- को अपास्त किया गया। अतः इस संबंध में भी विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की खण्डपीठ के निर्णय (1990) 7 आर.टी.जे.एस 158, मै० गांधी मशीनरी एण्ड स्पेयर; झुंझुनूं बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुंझुनूं में प्रतिपादित सिद्धांत लागू किये जाने योग्य हैं जिसमें माननीय विक्रय कर अधिकरण की खण्डपीठ ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय डी.बी/सिविल रिट पिटीशन क्रमांक बनाम् द यूनियन ऑफ इण्डिया में दिये गये निर्णय दिनांक 05.07.82 में प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण कर, प्रकरण में सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करने की निर्धारण अधिकारी को स्वतंत्रता प्रदान की है। उक्त निर्णय का संबंधित अंश निम्न प्रकार है:-


“The main ground alleged by the petitioner is that no notice was given to the petitioner before imposing the penalty which is a necessary requirement under Rule 54 of the Rajasthan Sales Tax Rules read with section 9 of the Central Sales Tax Act, Mr. Joshi, learned counsel appearing for the department frankly conceded and rightly so that it was necessary to give a notice to the assessee before imposing penalty. In


view of this circumstance all the above three writ petitions are allowed. The impugned order (annexure-1) so far as imposing penalty is concerned is set aside. However, it is made clear that if the department chooses to do so it will be free to take fresh proceedings for imposing penalty on the assessee after giving proper notice as required under the law.”

8. अतः माननीय राजस्थान विध्य कर अधिकरण की खण्डपीठ के निर्णय (1990) 7 आर.टी.जे.एस 158, के प्रकाश में, बिना सूचनापत्र जारी किये अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त करने संबंधी पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है, परन्तु निर्धारण अधिकारी विवरण प्रपत्रों की प्रस्तुति में हुये विलम्ब के संबंध में पुनः सूचनापत्र जारी कर, शास्ति आरोपण हेतु स्वतंत्र होंगे।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.03.2007 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।


(अमर सिंह)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य